उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–15रिट/का –2–2001
लखनऊ दिनांक : 21 दिसम्बर, 2001

अधिसूचना संख्या 15रिट/का–2/2001 दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह "घ" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क), (सामान्य परिनियम नियम) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,
बी0एन0 दीक्षित,
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या—364

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2001

अग्रहायण 30, शक सम्वत् 1923

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 15रिट/ का– 2-2001

लखनऊ, 21 दिसम्बर, 2001

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–51

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश समूह "घ" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश समूह "घ" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अधिभावी प्रभाव

2–किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(क) समूह "घ" के किसी पद के सम्बन्ध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए संगत सेवा नियमावली के अधीन सशक्त नियुक्ति प्राधिकारी से है;

(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

समूह "घ" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण

4–(1) किसी व्यक्ति को–

(क) जो राज्याधीन सेवा में 29 जून, 1991 के पूर्व समूह "घ" के पद पर दैनिक वेतन के आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो, और

(ख) जो ऐसी दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए संगत सेवा नियमावली में विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो, समूह "घ" के पदों पर केवल किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत उपबन्धों के अनुसार एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उपनियम (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची को अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में ऐसे संगत अभिलेखों सहित जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हों, चयन समिति के समक्ष रखा जायगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी करेगी।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता क्रम में रखते हुए एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियुक्तियां

5–नियुक्ति प्राधिकारी नियम-4 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्तियां उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में रखे गये हों।

नियुक्तियों को संगत सेवा नियम आदि के अधीन किया गया समझा जायगा।

6–इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियां संगत सेवा नियमों या आदेश के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेगी।

ज्येष्ठता

7–(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार विनियमितीकरण के लिए चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायगी।

सेवा की समाप्ति

8–ऐसे व्यक्ति की सेवा जो दैनिक वेतन आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो इस नियमावली के अधीन विचार किये जाने के पश्चात् उपयुक्त न पाया जाय, तत्काल समाप्त कर दी जायगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

अपवाद

9–इस नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, जहां किसी बिभाग में किसी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के विनियमितीकरण के लिए किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गयी है वहां सम्बन्धित विभाग मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा और तद्नुसार कार्यवाही करेगा।

आज्ञा से,
हरि कृष्ण,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15writ/ka-2-2001, dated December 21, 2001.

No. 15writ/ka-2-2001

Dated, Lucknow, December 21, 2001

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:–

THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF DAILY WAGES APPOINTMENTS ON GROUP 'D' POSTS RULES, 2001

Short title and commencement

1. (1) These Rules shall be called the Uttar Pradesh Regularisation of Daily Wages Appointments on Group 'D' posts Rules, 2001.

(2) They shall come into force at once.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context: –

(a) ''appointing authrity'' in relation to a Group 'D' post, means the authority empowered to make appointment on such post under the relevant service rules;

(b) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

Regularisation of daily wages appointments on Group 'D' posts

4. (1) Any person who-

(a) was directly appointed on daily wage basis on a Group 'D' post in the Government service before June 29, 1991 and is continuing in service as such on the date of commencement of these rules; and

(b) possessed rquisite qualification prescribed for regular appointment for that post at the time of such appointment on daily wage basis under the relevant service rules, shall be considered for regular appointment in permanent or temporary vacancy, as may be available in Group 'D' post, on the date of commencement of these rules on the basis of his record and suitability before any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant service rules or orders.

(2) In making regular appointments under these rules, reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other categories shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of regularisation under these rules.

(3) For the purpose of sub-rule (1) the appointing authority shall constitute a Selection Committee in accordance with the relevant provisions of the service rules.

(4) The appointing authority shall, having regard to the provisions of sub-rule (1), prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority as determined from the date of order of appointment on daily wage basis and if two or more persons were appointed together, from the order in which their names are arranged in the said appointment order. The list shall be placed before the Selection Committee along with such relevant records pertaining to the candidates, as may be considered necessary, to assess their suitability.

(5) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of their records referred to in sub-rule (4), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(6) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority, and forward the same to the appointing authority.

appointments

5. The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, make appointments from the list prepared under sub-rule (6) of the said rule in the order in which their names stand in the list.

appointments be deemed to be under the relevant service rules etc.

6. Appointments made under these rules shall be deemed to be appointments under the relevant service rules or orders, if any.

Seniority

7. (1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date of order of appontment after selection for regularisation in accordance with these rules and shall, in all cases, be placed below the persons appointed in accordance with the relevant service rules, or as the case may be, the regular prescribed procedure, prior to the appointment of such persons under these rules.

(2) If two or more persons are appointed together, their seniority interse shall be determined in the order mentioned in the order of appointment.

termination of service

8. The services of a person appointed on daily wage basis who is not found suitable, after consideration under these rules, shall be terminated forthwith and, on such termination he shall be entitled to receive on months's wages.

Exceptions

9. Notwithstanding anything contained in these rules, where any scheme for regularisation of a daily wage employee in any department has been presented before any court in pursuance of an order of the court, the concerned department shall obtain the orders of the Court in the matter and shall act accordingly.

By order
HARI KRISHNA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 747 राजपत्र (हिन्दी)–(1724)–2001–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 19 सा० नियुक्ति–(1723)–2001–4000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।